अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

छोटू वगैरह v/s श्रीमती कमलादेवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/40 GA 2 श्री मनीष खण्डेलवाल श्री मंगलाराम चौधरी-1	

4.8.22

छोटू वगैरह बनाम श्रीमती कमला देवी वगैरह

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री मनीष खण्डेलवाल एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्री मंगलाराम चौधरी उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व खसरा नम्बर 2324 से 2325 की वर्तमान जमाबंदी तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 3 लगातार 6 को पक्षकार नियोजित किया गया जबकि अपीलार्थी संख्या 01 लगायत 02 भी उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 2324 तथा 2325 के समस्त खातेदारो को पक्षकार नियोजित नहीं किया गया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि समस्त प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत जाकर राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया के द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 2305 तथा 2306 पूर्व खातेदार रामस्वरूप तथा रामप्रसाद पिसरान भंवरलाल से खरीद की गई है. प्रार्थीया/प्रत्यर्थी संख्या 01 से पूर्व खातेदार उक्त आराजी में आने-जाने हेतु खसरा नम्बर 2323 में स्थित रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है परन्तु तहसीलदार, सरवाड द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2323 में स्थित वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं किया गया तथा ना ही अन्य खसरान की स्थिति को दर्शाया गया है। मौके स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 2323 से सीधा रास्ता निकाला जाकर खसरा नम्बर 2326 (किस्म गैर मुमकिन रास्ता) में मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है। अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2324 तथा 2325 में प्रत्यर्थी सख्या 1 के आने-जाने हेतु कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नही था तथा ना ही उपयोग किया जा रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा मात्र सुविधाजनक रास्ता चाहने की मंशा से खसरा नम्बर 2323 में स्थित रास्ते को छोड़कर अपीलार्थीगण की उक्त आराजी में से नवीन रास्ता कायम करने हेतु उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 29.12.2021 की पेशी नियत की गई परन्तु प्रार्थीया के प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.12.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प में पेशी से पूर्व ही तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में इस सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 256/2020(142/2019) में पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपीललर्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014(1) डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 599 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया के रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सांपला तहसील सरवाड़ में स्थित खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.25 है0 तथा खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.31 है0 उनकी खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

सरवाड़
40/2022/25

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

छोटू V/s श्रीमती कमलादेवी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/40 — 4A-2 श्री मनीष खण्डेलवाल श्री मंगलाराम चौधरी-1	

लगातार

की आराजीयात है, जो गोपालपुरा जाने वाली सड़क के लगवा स्थित है और प्रार्थीया के खेत में आन–जाने हेतु वर्तमान में रास्ता स्थित है जिससे अप्रार्थीगण/अपीलांटस अवरूद्ध कर दिया था जिसे रास्ते को खुलवाया जावें तथा रास्ता खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.21 है0 तथा खसरा नम्बर 2325 रकबा 021 है. में से रास्ता दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सरवाड से मौका रिपोर्ट मगवाये जाने के पश्चात सभी पक्षकारान को सुनवाई कर विधिवत् आदेश दिये जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, सरवाड़ की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी ग्राम संख्या के खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.25 है0 व 2309 रकबा 031 है. में आने–जाने के के खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.21 है0 व 2325 रकबा 0.21 है0 के मध्य से मौके पर रास्ता बना हुआ है और उक्त रास्ता के दोनो तरफ बाडे व मकान बने हुए है जो इन्ही खातेदारो के है और खसरा नम्बर 2324 व 2325 के खातेदारों ने उक्त रास्ते को सीमेन्ट के पाल व लोहे की जाली लगाकर स्थायी रूप से प्रार्थिया की खातेदारी की आराजीयात मे जाने–जाने वाले रास्ता बंद कर दिया। पूर्व में भी यही रास्ता काम में लिया जाता रहा है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प पर पेश करने से पूर्व अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल प्रार्थिया ही उपस्थित हुई। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 2324 व 2325 के खातेदार छोटू व गोकुल पुत्रान रामनाथ जाति बैरवा को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.2021 भी केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जो विधि सम्मत नही है। हम अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014(1) डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 599से सहमत है कि जिसमें कहा गया है कि पक्षकार का सुने जाने के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित निर्णय संवहनीय नही जिसे अपास्त किया गया है तथा प्रकरण को पक्षकार को सुनकर नये सिरे से निर्णय प्रतिप्रेषित किया गया है से हम सहमत है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 256/2020(142/2019) में पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 256/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें तथा जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता

---लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

40/2022/225 छोटू व/० श्रीमती कमलेश देवी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	श्री मनीष खण्डेलवाल श्री मंगलाराम चौधरी	
10/10/18	केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करतें हुए पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2022 को पेश हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (राजेन्द्र सिंह शेखावत) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	